इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4682

9 मई, 2013 को उत्तर के लिए

इस्पात आपूर्ति कमी का बढ़ जाना

4682. श्री एन.के. सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत की इस्पात आपूर्ति में कमी पूर्व वर्ष के 1 प्रतिशत से चार गुना बढ़कर वर्ष 2012-13 में 4 प्रतिशत हो गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस्पात की आपूर्ति में कमी को पूरा करने हेतु किन्ही उपायों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क): जी, नहीं।

(ख): घरेलू मांग के प्रतिशत के रूप में निवल आयातों को इस्पात आपूर्ति घाटे के आकलन के लिए एक उपयुक्त संकेतक के रूप में माना जाता है। नीचे दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि इस्पात आपूर्ति घाटे मे आंशिक रूप से बढ़ोत्तरी हुई है जो वर्ष 2011-12 के 3.20 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 3.56 प्रतिशत हो गई है।

इस्पात (अलॉय+ गैर-अलॉय) का उत्पादन, आयात, निर्यात तथा वास्तविक खपत

इकाई: हजार टन

वर्ष	बिक्री हेतु उत्पादन	आयात	निर्यात	निवल आयात	वास्तविक खपत	घरेलू मांग के % के रूप में निवल आयात
2011-12	75697	6863	4588	2275	71021	3.20
2012-13*	77616	7867	5253	2614	73330	3.56

स्रोत: जेपीसी* अनुमानित

नोट: इस्पात की वास्तविक खपत को इस्पात की घरेलू मांग के प्रतिनिधित्व के रूप में लिया गया है।

(ग) और (घ): इस्पात के एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के चलते सरकार की भूमिका केवल एक सुविधादाता तक ही सीमित है ताकि एक सहायक नीति वातावरण प्रदान कर सके। निवेश संबंधी विशिष्ट निर्णय इस्पात कंपनियों/नए निवेशकों द्वारा पूंजी पर मुनाफे के निर्धारण तथा अन्य महत्वों के आधार पर लिए जाते हैं। तथापि, सरकार ने इस्पात उद्योग की वृद्धि की सहायता के लिए निम्न कदम उठाए/प्रस्तावित किए हैं जो आपूर्ति में सुधार करेंगे तथा मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतराल को पाटने में सहायता करेंगे।

(i) इस्पात क्षेत्र में प्रभावी समन्वय तथा विभिन्न निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा एक अंतर-मंत्रालीय समूह (आईएमजी) की स्थापना की गई है।

(ii) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) तथा एनएमडीसी लिमिटेड नामक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसयू) अपने संबंधित ब्राउनफील्ड/ग्रीनफील्ड स्थलों पर क्रूड/फिनिश्ड स्टील की क्षमता में महत्वपूर्ण विस्तार के क्रियान्वयन के अधीन हैं।

(iii) इस्पात उद्योग के लिए कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल तथा स्क्रैप जैसी महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों का आयात शून्य अथवा बहुत कम स्तर पर आयात शुल्क की शर्त पर किया जाता है।

(iv) घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने तथा लौह अयस्क की घरेलू उपलब्धता के सुधार के लिए लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है।

(v) इस्पात मंत्रालय वृद्धि में बाधाओं का पता लगाने के लिए नियमित रूप से उद्योग के साथ विचार-विमर्श करता है तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों को आवश्यक सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करता है।

****